

गुशीलादेवी vs बनाम श्रीवाराणसी



323/18/13

प्राप्त अवभावन

आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष विवरण

हमें पधारें
ग में दिगें

प्रस्तुतकार
अधिकारी
नगर (जयपुर)

व्यापिक
गत आदेश
3-1-18 को

अधिकारी
नगर (जयपुर)

साक्ष्य लपट
पेश दिगें

अधिकारी
नगर (जयपुर)
आदेश को

प्रस्तुतकार

अधिकारी
नगर (जयपुर)

दिपत

करने

द्वारा अवसा

में साक्ष्य

पेश है।
अधिकारी
नगर (जयपुर)

03-4-18 वकील उमपयस उष साक्ष्य
साथल को भवसा पाठ साक्ष्य दिगें
अवसा दिगें जोका दिगें 24-4-18
को पेश है।

उपखण्ड अधिकारी
नगर (जयपुर)

24-4-18 वकील उमपयस उष
गत आदेश की पालना में दिगें
9-5-18 को पेश है।

अधिकारी
नगर (जयपुर)

9/05/18

पञ्जावली राजस्व लोक अदालत में
वास्ते सुनवाई पेश हुई। जैर सायल
सं. 1 उपस्थित हुआ। पञ्जावली पञ्जावली
पर उपलब्ध दस्तावेजों विधि के -
सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन
किया गया। पञ्जावली तारीख 2-12-14
से साक्ष्य साथल में नियत चल रही
है, प्रकरण में करीब चार साल पर
भी साक्ष्य पूर्ण नहीं करवाना स्वयं साथल
की प्रकरण में आपरवाही को इशारा है।
अतः साक्ष्य साथल बन्द किये जाने
के आदेश दिये जाते हैं।

श्रीवाराणसी



यह भी कि मुताबिक रिपोर्ट तहकीकत
मौके पर निर्माण कार्य नहीं करने पर
अप्राधी श्रीवाराणसी को पाबंद किया गया
है।

अधिकारी
नगर (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

फर्द अहकाम

सुनील देवी vs बनाम श्रीवाराण कौंडर



नाम न्यायालय

(श्रीवाराण) श्रीवाराण

केस संख्या

323/2018

पुष्पक भवमानक

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		<p>यह श्री सायल ने अपने प्रार्थना पत्र में यह अंकित नहीं किया गया है कि अप्रार्थी ने किस ख.नं. में निम्न कानूनालय कोदेश की अवहेलना की है। श्री सायल स्वयं ने यह माना है कि मौके पर पटवारी के ऊठे बाड कोई कार्य नहीं दिया है, जबकि ऊठे पुराठे भकाग की मरम्मत दिखाई है, जो न्यायालय कोदेश की अवहेलना में नहीं आता है। अतः प्रकरण का इस कडर निस्तारण दिया जाता है कि यदि मौके पर श्री सायल द्वारा न्यायालय कोदेश की अवहेलना की जाती है, तो सायल पुनः प्रार्थना पत्र पेश कर सकता है। इत्तगत पत्रावली खारिज की जाती है।</p> <p style="text-align: right;"> पीठासीन अधिकारी राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार-2018 उपखण्ड- विराटनगर (जयपुर)</p>

